भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 739
जिसका उत्तर बुधवार,07 फरवरी,2018 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की कमी

739.श्री जॉर्ज बेकर :

श्री आलोक संजर :

प्रो॰ रिचर्ड हे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पश्चिम बंगाल और केरल सहित कार्यशील निचले न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त न्यायालयों में कार्य कर रहे न्यायाधीशों की संख्या का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में न्यायाधीश और मुकदमों का अनुपात क्या है;

(ग) देश में न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्वीकृत पदों की संख्या और वास्तविक संख्या में कोई भिन्नता है;

(ङ) यदि हां, तो इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का और न्यायालयों की स्थापना करने और विभिन्न न्यायालयों में और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है;और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में मामलों के अनुपात में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) से (घ) : देश में 24 उच्च न्यायालयों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या क्रमश: 1,079 और 676 है। उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत / कार्यरत पद संख्या तथा रिक्तियों के राज्य/संघराज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे उपाबंध पर दिए गए विवरण में हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश-मामला अनुपात 1175 मामले प्रति न्यायाधीश होना संगणित किया गया है।

(ड.) से (छ) : जिला और जिले से निचले/अधीनस्थ स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों से परामर्श करके नए न्यायालयों की स्थापना की जाती है और संघीय सरकार की जिला/अधीनस्थ स्तर पर नए न्यायालयों की स्थापना करने में कोई भूमिका नहीं होती है। संविधान के

अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति राज्य सरकारों तथा संबंधित उच्च न्यायालय का उत्तरदायित्व है। उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर मामले में किए गए न्यायिक आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय-सीमा की रचना की है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी 2007 में दिया गया आदेश यह अनुबंध करता है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कलैंडर वर्ष के 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष 31 अक्तूबर तक समाप्त होगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को, राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु दशाओं या अन्य सुसंगत दशाओं पर आधारित किसी कठिनाई की दशा में समयसारणी में परिवर्तन की अनुज्ञा दी है। संघीय सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन कोई भूमिका नहीं होती है।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 739 जिसका उत्तर तारीख 07 फरवरी, 2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत / कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों का राज्य / संघ-राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों / संघ –राज्यक्षेत्र का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना **	987	873	114
2	अरुणाचल प्रदेश	28	17	1 1
3	असम	428	352	76
4	बिहार	1828	993	835
5	छत्तीसगढ़	398	335	63
6	गोवा	55	43	12
7	गुजरात	1496	1121	375
8	हरियाणा	645	496	149
9	हिमाचल प्रदेश	159	148	1 1
10	जम्मू - कश्मीर	253	224	29
1 1	झारखंड	672	419	253
12	कर्नाटक	1303	976	327
13	केरल***	535	455	80
14	मध्य प्रदेश	2021	1293	728
15	महाराष्ट्र	2097	1930	167
16	मणिपुर	49	40	09
17	मेघालय	97	39	58
18	मिजोरम	63	46	17
19	नागालैंड	34	22	12
20	ओडिशा	862	658	204
21	पंजाब	674	538	136
22	राजस्थान	1225	1122	103
23	सिक्किम	23	18	5
24	तमिलनाडु *	1257	916	341
25	त्रिपुरा	107	76	31
26	उत्तर प्रदेश	3204	1856	1348
27	उत्तराखंड***	291	231	60
28	पश्चिमी बंगाल	956	916	40
29	अंदमान और निकोबार	1 1	1 1	0
30	चंडीगढ़	30	30	0
31	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	7	7	0
32	दिल्ली	799	482	317
33	लक्षद्वीप	3	2	1
34	पांडिचेरी	25	22	03
कुल		**22,622**	**16,707**	**5915**

* 07.11.2017 को यथाविद्यमान /** 31.10.2017 को यथाविद्यमान /***30.11.2017 को यथाविद्यमान **********